हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। हमने बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का करीरिया [?] एवं भू० अ० निरीक्षक डेलाडी [?] दि० 20/5/23 का अवलोकन किया गया। अत: बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन करने एवं वादपत्र, संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का करीरिया एवं भू० अ० निरीक्षक डेलाडी दि० 20/5/23 के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: वादीगण वाद दावा दुरुस्ती इन्द्राज नक्शा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
(हस्ताक्षर) 11/3/24	
उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–342/2021
प्रकरण निर्णय दिनांकः–11.03.2024

उनवान– 1. नाथूलाल पुत्र स्व. नारायण उम्र 50 वर्ष
2. रामप्यारी पत्नि स्व. नारायण उम्र 76 वर्ष
3. भोलासिंह पुत्र रामजीलाल उम्र 45 वर्ष
4. मानसिंह पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 42 वर्ष
5. भवानी सिंह पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 35 वर्ष
6. रत्तीराम पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 40 वर्ष
7. राजेन्द्र पुत्र हरिसिंह उम्र 35 वर्ष
8. विजय सिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 32 वर्ष
9. कमलसिंह पुत्र हरिसिंह उम्र 30 वर्ष
समस्त जाति गुर्जर निवासी कँवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा राज.

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील बसवा जिला दौसा

दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा

मुकदमा नं.–342/2021 सन्–2021

निर्णय दिनांकः 11.03.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा इस आशय का पेश किया कि भूमि खाता सं. नया 41 पुराना 34 के खसरा नं. 135, 136, 137, 155, 216, 217, 219, 220, 240, 260 लगा. 266, 288, 290, 304 लगा. 309, 311, 314/259, 315/259 कुल किता 27 कुल रकबा 6.73 हैक्टेयर वाके रामा कंवरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जो कि वादीगण सं. 01 लगायत 09 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। हाल खसरा नं. 288 रकबा 0.16 हैक्ट. एवं खसरा नं. 290 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता दो कुल रकबा 0.36 हैक्ट. का साबिक खसरा नं. 41 रकबा एक बीघा 10 बीस्वा था, जो कि साबिका जमाबन्दी सम्वत 2016 में दर्ज है। हाल खसरा नं. 288 व 290 का जमाबन्दी में तो रकबा सही दर्ज करते हुए खसरा नं. 288 व 290 का नक्शा शीट में ख. नं. 288 व 290 की पश्चिमी भुजा को दक्षिण से उत्तर की में, पूर्व दिशा में अन्दर की ओर दबा दिया है जिसके हाल खसरा नं. 288 व 290 का नक्शा शीट में रकबा कम हो गया है जो कि साबिक खसरा नं. 41 के नक्शा ट्रेस का खसरा नं. 288 व 290 के नक्शा ट्रेस के मिलान करने पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाता है। इस प्रकार सैटलमैन्ट विभाग ने बिना किसी अधिकार व आदेश के हाल नक्शा शीट में खसरा नं. 288 व 290 का रकबा साबिक खसरा नम्बर 41 के रकबे से कम कर दिया है। जिससे वादीगण के खातेदारी हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिका नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नंबर 41 के विपरीत हाल नक्शा सीट में हाल खसरा नं. 288 व 290 के नक्शे में गलत तरीके से पश्चिमी सीमा को उत्तर

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण पूर्व की ओर दबा दिया है, उसे साबिका खसरा नंबर 41 की साबिका नक्शा शीट के अनुसार हाल खसरा नं. 288 व 290 के नक्शे की दुरूस्ती नक्शा शीट में की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रकरण के संबंध में भू. अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांकः 20.05.2023 प्राप्त हुई। वादीगण वकील बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादीगण वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र एवं भू. अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांकः 20.05.2023 में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। भू. अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांकः 20.05.2023 के अनुसार वाद पत्र में वादीगणों द्वारा साबिक खसरा नं. 41 के हाल खसरा नं. 288/0.16, 290/0.22 की नक्शा दुरूस्ती चाही गई है इस हेतु हाल खसरा नं. 288, 290 की रकबा बरारी करने पर दोनों खसरा नंबरान का रकबा मुताबिक जमाबंदी पूरा है। गत एवं हाल खसरा नंबरान की तुलना करने पर गत एवं हाल नक्शे में कोई अन्तर नहीं है। अतः गत एवं हाल खसरा नम्बरों का मिलान करने पर रकबा एवं चारों भुजाओं में कोई अन्तर नहीं पाया गया। अतः वाद पत्र एवं भू. अ. निरीक्षक देलाडी एवं पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांकः 20.05.2023 में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण वाद दावा दुरूस्ती इन्द्राज नक्शा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 11.03.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

11/3/24

(रामसिंह राजावत)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

बांदीकुई